Pl. upload
org website
हस्ताक्षरित

Dairy booth Allotment Direction

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)
टेलीफैक्स 0141-2222005, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः- 13680 - 13871 दिनांकः- 25/2/19

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः- डेयरी बूथों के शीघ्रातिशीघ्र आवंटन बाबत।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. को राज्य के शहरी क्षेत्रों में दिनांक 28.02.2019 तक 5000 डेयरी बूथ आवंटित करने है। इस हेतु उनके द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं तथा उनकी प्रारम्भिक संवीक्षा करके उन्हें संबंधित नगर पालिकाओं में दुग्ध संघों के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। संबंधित नगरीय निकायों द्वारा इन प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण कर मौके पर यातायात के बिन्दू पर संबंधित यातायात इंचार्ज/एस.एच.ओ की अनापत्ति प्राप्त कर लाईसेंस जारी किया जाना है। इस हेतु विस्तृत विभागीय निर्देश पूर्व में पत्र क्रमांक 1382 दिनांक 28.02.2018 द्वारा जारी किये गये थे। हाल ही में राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. द्वारा भी इस संबंध में क्रमांक 60223-60282 दिनांक 22.02.2019 एवं क्रमांक 60284-60344 दिनांक 23.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसमें इन प्रकरणों का शीघ्र समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित जिला कलक्टर्स के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)/उपखण्ड अधिकारी को आवंटन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तथा संबंधित नगरीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसका सदस्य सचिव होगा। अतः कृपया इन निर्देशों (संलग्न) के क्रम में शीघ्र ही डेयरी बूथों के आवंटन के लिए बैठक आयोजित करे एवं उनमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.02.2019 तक लाईसेंस जारी करने की व्यवस्था करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः- 13872 - 13916 दिनांकः- 25/2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि, जयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं रिपोर्ट देवें।
4. प्रबंध संचालक, संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.।
5. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner